

बिहार सरकार
निगरानी विभाग

पटना, दिनांक

अधिसूचना

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-17 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल ने विशेष निगरानी इकाई, पटना में पदस्थापित पुलिस निरीक्षकों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अनुसार दंडित किये जाने वाले अपराधों के मामले में दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना भी अनुसंधान करने एवं वारंट के बिना गिरफ्तारी करने हेतु सक्षमता प्रदान करने की कृपा की है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(रामाशंकर)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

/पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि:-

प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी०डी० सहित) बिहार राजपत्र अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

3923

/पटना, दिनांक :

10.06.2026

प्रतिलिपि:-

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rhany 10/6/26

सरकार के अपर सचिव